सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 44 /जी–1646/2013/1–सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 09/01/2013

प्रति,

**शासन के समस्त विभाग,**
**समस्त विभागाध्यक्ष,**
**समस्त संभागायुक्त,**
**समस्त कलेक्टर,**
**छत्तीसगढ़**

विषय :– अपील आवेदन पत्र में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करने के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र.3610/जी.1646/2011/1–सूअप्र, दिनांक 30.12.2011.

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करें। उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार अभी भी कई विभागों, विभागाध्यक्षों एवं कलेक्टर्स कार्यालयों में उनका पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के कक्ष के बाहर उनका नाम एवं पदनाम की पट्टिका तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् कार्यालय में सूचना पटल पर भी उनके नाम एवं पदनाम की जानकारी दर्शायी जाए।

समस्त सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश अथवा पत्राचारों में उनका नाम एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

संलग्न :– संदर्भित परिपत्र।

9/1/2013

**(जी.आर.चुरेन्द्र)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....निरंतर

पृ.क्र. 45 /जी.1646/2011/1–सूअप्र,                    नया रायपुर, दिनांक 09

**प्रतिलिपिः–**

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्र.1763/स्था./छगरासूआ/दि के संदर्भ में।
7. संचालक, जनसंपर्क कार्यालय, रायपुर।
8. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर वेबसाईट www.cg.in/gad/RTI पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9/1/2013

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2011—ज्येष्ठ 13, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/1-सूअप्र.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 7-16/2005/1/6 दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) के तहत छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की "सी शाखा" को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा**, संयुक्त सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

# ग्रामोद्योग विभाग

## मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) राजपत्रित सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** —

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा, भर्ती नियम, 2010 कहलाएंगे.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है शासन ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नियम 11 के अंतर्गत भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा.

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची ;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) राजपत्रित सेवा ;

(ज) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**—छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को धारण कर रहे हों ;

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)**
**मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001.**

---

**// अधिसूचना //**

रायपुर, दिनांक 12, मई, 2011.

**कमांक : एफ 1–2/2011/1–सूअप्र** :: इस विभाग की अधिसूचना कमांक–एफ 7–16/2005/1/6 दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के अनुकम में राज्य शासन, एतद्द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) के तहत छत्तीसगढ़ शासन, **गृह विभाग की "सी शाखा"** को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

**(के0आर0 मिश्रा)**
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**पृष्ठांकन कमांक : एफ 1–2/2011/1–सूअप्र** **रायपुर, दिनांक 12 मई, 2011.**

**प्रतिलिपि :–**

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
6. सचिव, मान0 मुख्यमंत्री जी, छ0ग0शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
7. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्री गण/संसदीय सचिव ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ0ग0शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
11. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर ।
12. समस्त विभागाध्यक्ष, छ0ग0 ।
13. समस्त कलेक्टर्स, छ0ग0 ।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0 रायपुर ।
15. संचालक, प्रशासन अकादमी, मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
16. सचिव, राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर ।
17. नियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)**
**मंत्रालय**
**दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

क्रमांक \696/ जी–668/2011/1–सूअप रायपुर, दिनांक 27 जून, 2011

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किये जाने वाले जारी राशन कार्डो की वैधता के संबंध मे ।

———000———

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(5) मे गरीबी रेखा से नीचे के घोषित व्यक्तियों को उनके द्वारा चाही गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2/– शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि मुख्यमंत्री सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–2008 के नगरीय सर्वेक्षण के आधार पर रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु जारी किये गये राशन कार्डो का उपयोग निःशुल्क सूचना प्राप्ति हेतु किया जा रहा है। जबकि इन कार्डो पर यह स्पष्ट उल्लेख भी होता है कि " राशन कार्ड किसी वैधानिक उपयोग के लिए मान्य नहीं किया जावेगा तथा किसी भी अन्य व्यक्ति के पहचान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

3/– अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **"मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजनान्तर्गत" वर्ष 2007–2008 के नगरीय सर्वेक्षण के आधार पर रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु जारी किये गए राशन कार्डो को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निः शुल्क जानकारी प्रदाय करने के लिए मान्य न किया जाये ।**

4/– कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय से आपके विभाग/कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों को अवगत कराया जाए ।

**(के0आर0 मिश्रा)**
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

25/6/2011

C-1\E:\Ekka\Ekka Letters\299

पृ0 क्रमांक 1697/जी–668/2011/1–सूअप रायपुर, दिनांक 25 जून, 2011

प्रतिलिपि :–

1/– महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।

2/– मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।

3/– सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,शंकर नगर रायपुर । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
25/6/2011

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)**
**मंत्रालय**
**दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001.**

---

कमांक : 1535/जी–1312/2009/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 7 जून, 2011.

**प्रति,**

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी ।

संदर्भ :– भारत सरकार, कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का कार्यालयीन ज्ञापन संख्या–एफ10/9/2008–आई.आर., दिनांक 26 अप्रेल, 2011.

——0——

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयक भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का कार्यालयीन ज्ञापन संख्या–एफ 10/9/2008–आई0आर0 दिनांक 26 अप्रैल, 2011 पत्र की छायाप्रति सूचनार्थ संलग्न है।

प्रेषित

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।**

**( सैयद कौसर अली )**
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**पृष्ठांकन कमांक : 1536/जी–1312/2009/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 7 जून, 2011.**

प्रतिलिपि :–

1. डॉ0 कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र संख्या.–एफ10/9/2008 –आई.आर., दिनांक 26.04.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, छ0ग0 रायपुर ।
3. सचिव, छ0ग0राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर ।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ ।
5. सचिव, छ0ग0विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
6. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, छ0ग0 रायपुर ।
8. सचिव, मान0 मुख्यमंत्री, छ0ग0शासन, रायपुर ।
9. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आवासीय आयुक्त, छ0ग0भवन, नई दिल्ली ।

.....2

11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ0ग0 रायपुर ।
12. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर ।

13. महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, छ0ग0 बिलासपुर ।
14. रजिस्ट्रार, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
15. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
16. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर ।
17. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क, छ0ग0 रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

- 83 -

No 1523 JCS/2011/GOI
Date 4 MAY 2011

सं.एफ. 10/9/2008 – आईआर
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

3 MAY 2011
Secy, RTI

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 26 अप्रैल, 2011

विषय: भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियम) नियमावली, 2005 में प्रावधान है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति सूचना पाने के लिए नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क की अदायगी कर सकता है । इस विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ लोक प्राधिकरण भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं करते हैं ।

2. यथोक्तानुसार, नियमों के अंतर्गत शुल्क की अदायगी के तरीकों में एक माध्यम भारतीय पोस्टल ऑर्डर है । आईपीओ के माध्यम से शुल्क स्वीकार किए जाने से इंकार आवेदन को स्वीकार करने से मना करने जैसा लिया जाएगा । इसका परिणाम अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा शास्ति लगाया जाना हो सकता है । अतः, सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईपीओ द्वारा शुल्क की अदायगी से इंकार न हो ।

JS(M)

3. इस का.ज्ञा. के संदर्भों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
पंजी. क्रमांक C-685
दिनांक 9 MAY 2011

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग/ लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/ उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधान मंत्री कार्यालय/ योजना आयोग/ चुनाव आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

JS(M)

प्रतिलिपि : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

Imp
Pl. put up.
6/5/11
US(A)
SO(RTC)
7/5

No.F. 10/9/2008-IR
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pension
Department of Personnel & Training
******

North Block, New Delhi
Dated April 26, 2011

Subject:- Payment of fee under the RTI Act by Indian Postal Order.
******

The undersigned is directed to say that the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 provide that a person seeking information under the RTI Act, 2005 can make payment of fee for obtaining information by cash or demand draft or banker's cheque or Indian Postal Order. It has been brought to the notice of this Department that some public authorities do not accept fee through the Indian Postal Orders.

2. As stated above, one of the approved modes of payment of fee under the Rules is through Indian Postal Order. Refusal to accept fee through the IPO may be treated as refusal to accept the application. It may result into imposition of penalty by the Central Information Commission on the concerned Central Public Information Officer under Section 20 of the Act. All the public authorities should, therefore, ensure that payment of fee by IPO is not denied.

3. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

( K.G. Verma )
Director
Tele 2309 2158

1. All the Ministries/Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Secretariat./Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission/Election Commission
3. Central Information Commission
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
6. All Officers/Desks/Sections, Department of Personnel & Training and Department of Pension & Pensions Welfare

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

# छत्तीसगढ़ शासन
## सामान्य प्रशासन विभाग
## (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
## मंत्रालय
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक २२१७ /जी–1312/2009/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावशील कियान्वयन।**

संदर्भः– भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र कमांक नं. 04/10/2011–आई.आर. दिनांक 18.05.2011

———0———

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र कमांक नं. 04/10/2011–आई.आर. दिनांक 18.05.2011 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, का सुदृढ़ीकरण के संबंध मे निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं–

(a) विभागों/विभागाध्यक्षों/अधीनस्थ कार्यालयों व उपकमों के वार्षिक प्रतिवेदनों में सूचना का अधिकार अधिनियम के कियान्वयन का एक पृथक अध्याय शामिल किया जाये, जिसमें वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्र, निराकृत तथा अस्वीकृत किये जाने की संख्या का उल्लेख हो। इसके साथ ही यदि सूचना का अधिकार अधिनियम को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय/प्रयास किए गये हों तो उनको भी दर्शाया जाये। यह कार्य वर्ष 2011–12 के वार्षिक प्रतिवेदनों में सुनिश्चित किया जाये।

(b) प्रत्येक विभाग तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों/उपकमों में कार्यरत समस्त जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को वर्ष में कम से कम आधे दिन का प्रशिक्षण दिया जाये, ताकि सूचना का अधिकार के प्रति उनकी भूमिका एवं कर्तव्य का अहसास हो सके। प्रत्येक मंत्रालयीन विभाग उनके अधीनस्थ जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

.....2....

(c) समस्त विभाग/जन प्राधिकारी कार्यालय जिनकी वेबसाईट उपलब्ध है, वे सूचना का अधिकार से संबंधित प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्र, उनके निराकरण की माहवार जानकारी वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे। जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख को Update की जाए। शासन के समस्त विभाग उनके अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में (इस निर्देश पर कार्यान्वयन हो रहा है, के संबंध में) कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त तरीके से की जाने वाली कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जावे।

2/ अतः कृपया निर्देशों का पालन आपके विभागों में व विभाग के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों/निगमों/आयोगों में पत्र की छायाप्रति भेजकर आवश्यक कार्रवाई करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन 10 सितम्बर तक भेजें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

**(सैयद कौसर अली)**
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**पृष्ठां.क्रमांक 1280/जी–1312/2009/1–सूअप रायपुर, दिनांक 19 अगस्त, 2011**

प्रतिलिपि–

1. भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र कमांक नं. 04/10/2011–आई.आर. दिनांक 18.05.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़ के पत्र कमांक 777/स्था/छगरासूअ/2011 दिनांक 02.07.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त अध्यक्ष/आयुक्त, निगम/आयोग/बोर्ड, छत्तीसगढ़,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
5. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर,
6. सचिव, विधानसभा सचिवालय, छत्तीसगढ़, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

No.4/10/2011-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

....

North Block, New Delhi
Dated: 18th May, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Strengthening Implementation of the Right to Information Act, 2005.

***

Central Chief Information Commissioner has made a reference to the Cabinet Secretary making several suggestions for effective implementation of the Right to Information Act, 2005. It has been decided in consultation with the Cabinet Secretariat that following actions shall be undertaken by all Ministries/Departments/Attached Offices/PSUs of Central Government to strengthen the implementation of the RTI Act:

a) In the Annual reports of the Central Ministries/Departments and other attached/subordinate offices/PSUs, a separate chapter shall be included regarding implementation of the RTI Act in their respective offices. This chapter should detail the number of RTI applications received and disposed off during the year, including number of cases in which the information was denied. In addition to the above, efforts made to improve the implementation of the Act in their respective offices, including any innovative measures that have been undertaken, should also be listed. This is to be ensured for Annual reports for the year 2011-12 onwards.

b) Each Ministry/Department should organize atleast a half day training programme for all CPIOs/Appellate Authorities (AAs) every year to sensitize them about their role in implementation of the RTI Act. The concerned Ministries/Departments shall ensure that similar programmes are organized for all CPIOs/AAs of all attached/subordinate offices and PSUs under their control as well.

c) All public authorities who have a web site shall publish the details of monthly receipts and disposal of RTI applications on the websites. This should be implemented within 10 days of the close of the month. Ministries/Departments would ensure that these instructions are communicated to their attached/subordinate offices as well as PSUs immediately. Monthly reporting on the above pattern should begin latest by 10th July, 2011 for the month of June, 2011 and thereafter continue on a regular basis.

2. All the Ministries/Departments are requested to take action as above and also to ensure that these instructions are communicated to their attached and subordinate offices/PSUs for compliance.

**(K.G.Verma)**
Director
Tel: 23092158

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission / President's Secretariat/Vice-Presidents's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All Officers/Desks/Sections, Department of Personnel & Training and Department of Pension & Pensions Welfare.
7. Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, for information

Copy to:
1. Chief Secretaries of all the States/UTs.
2. State Information Commissioners

सूचना का अधिकार

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)**
**मंत्रालय**
**दाऊ कल्याण सिंह भवन,**
**रायपुर**
**---00---**

क्रमांक 2990 / जी–1558 / 2011 / 1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 2 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2011

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एवं 3 के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा निष्पन्न अभ्युक्ति बाबत् ।**

---000---

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1 / 18 / 2011–आई.आर. दिनांक 16.09.2011 की छायाप्रति आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है।

2 /– कृपया भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), के ज्ञापन से आपके अधीनस्थ अन्य संबंधितों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

**(सैयद कौसर अली)**
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक 2991 / जी–1558 / 2011 / 1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 2 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि :–

1. श्री के.जी. वर्मा, संयुक्त सचिव, (आरटीआई) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1 / 18 / 2011–IR, दिनांक 16 सितंबर 2011 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड शंकर नगर, रायपुर की आरे आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र / (एनआईसी) मंत्रालय, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.cg.nic.in/gad में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

C-3\E:\Kushwaha\Kushwaha Letters\418

No 3507 ICS/2011/GOI
Date 20 OCT 2011

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ).
पंजी. क्रमांक ...G1-1736...
दिनांक ...21 OCT 2011...

सूचना का अधिकार

No.1/18/2011-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
*****

19 OCT 2011
Secy, R.T.I.

North Block, New Delhi
Dated: the 16th September, 2011

**Subject:** Observation of Hon'ble Supreme Court on Right to Information Act, 2005 in Civil Appeal no.6454 of 2011, arising out of SLP [C] No.7526/2009 in the case of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors.

****

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No.1/4/2009-IR dated 05.10.2009 whereby a Guide on the Right to Information Act, 2005 was circulated. Para 10 of Part I of the Guide, inter alia, stated that 'only such information can be supplied under the Act which already exists and is held by the public authority or held under the control of the public authority. The Public Information Officer is not supposed to create information; or to interpret information; or to solve the problems raised by the applicants; or to furnish replies to hypothetical questions.' The same issue has been elaborated by the Supreme Court in the matter of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors. (Civil Appeal No.6454 of 2011) as follows:

"At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information *that is available and existing*. This is clear from a combined reading of section 3 and the definitions of 'information' and 'right to information' under clauses (f) and (j) of section 2 of the Act. If a public authority has any information in the form of data or analysed data, or abstracts, or statistics, an applicant may access such information, subject to the exemptions in section 8 of the Act. But where the information sought is not a part of the record of a public authority, and where such information is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority, the Act does not cast an obligation upon the public authority, to collect or collate such non available information and then furnish it to an applicant. A public authority is also not required to furnish information which require drawing of inferences and/or making of assumptions. It is also not required to provide 'advice' or 'opinion' to an applicant, nor required to obtain and

furnish any 'opinion' or 'advice' to an applicant. The reference to 'opinion or 'advice' in the definition of 'information' in section 2(f) of the Act, only refers to such material available in the records of the public authority. Many public authorities have, as a public relation exercise, provide advice, guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should not be confused with any obligation under the RTI Act."

3. This may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Joint Secretary(RTI)
Tel: 23092158

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

संख्या 1/18/2011-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 16 सितम्बर, 2011

विषय: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्द्योपाध्याय और अन्य के मामले में एस.एल.पी.(सी) संख्या 7526/2009 से उद्भूत, सिविल अपील संख्या 6454/2011 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुपालन

****

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2009-आई.आर. दिनांक 05.10.2009 की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक मार्गदर्शिका परिचालित की गई थी। मार्गदर्शिका के भाग-I के पैरा 10 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लिखित किया गया था कि मात्र ऐसी सूचना की ही इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण के अधीन धारित हो। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने; अथवा सूचना की व्याख्या करने; अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने; अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसी मुद्दे को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्द्योपाध्याय और अन्य (सिविल अपील संख्या 6454/2011 ) के मामले में उच्चतम न्यायलय द्वारा विस्तार दिया गया है जो निम्नानुसार है:

> "इस मोड़ पर, यह आवश्यक है कि आर.टी.आई. अधिनियम के विषय में कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया जाए। आर.टी.आई. में सभी सूचना जो उपलब्ध और विद्यमान है तक पहुंच का प्रावधान है। यह अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) और (ञ) के अंतर्गत 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं और धारा 3 के सम्मिलित पठन से स्पष्ट है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा, अथवा सारों, अथवा आंकड़ों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए पहुंच बना सकता है। किन्तु जहां सूचना किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेख का कोई भाग नहीं है, और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बनाए रखी जानी अपेक्षित नहीं है, अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी लोक प्राधिकरण से निष्कर्षों को निकालने और/अथवा

मान्यताओं को बनाने की या, 'मत' दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को किसी 'मत' अथवा 'सलाह' को प्राप्त करने और दिए जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 2(च) में 'सूचना' की परिभाषा में 'मत' अथवा 'सलाह' का संदर्भ , मात्र लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसे मसौदे से संदर्भित है। अनेक लोक प्राधिकरण, एक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में, नागरिकों को सलाह, मार्गदर्शन और मत उपलब्ध करवाते हैं। किन्तु यह पूर्णतः स्वैच्छिक है और आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत किसी बाध्यता के साथ इसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।"

3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(के.जी. वर्मा)
संयुक्त सचिव (आर.टी.आई)
दूरभाष: 23092158

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति-सचिवालय/उप-राष्ट्रपति-सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/सभी राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
6. सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्राशिक्षण विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग।

प्रतिलिपि: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

# छत्तीसगढ़ शासन
## सामान्य प्रशासन विभाग
## (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
## मंत्रालय
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

—०—

## अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

कमांक एफ 2–4/2010/1–सत्रह :::, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22, सन् 2005) की धारा 27 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

## संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 के उप–नियम (1) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹.1000 तक के अरेखांकित तथा ₹.1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष (60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियॉं,"

2. नियम 4 के उप–नियम (3) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात:–

"या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹.1000 तक के अरेखांकित तथा ₹.1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष (60)– अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियॉं,"

3. उक्त संशोधन जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....2

क्रमांक एफ 2–4/2010/1–सूअप्र ::: रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2–4/2010/1–सूअप्र, दिनांक 04 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....3

# Chhattisgarh Government
# General Administration Department
# Right to Information Cell,
# Mantralya Dau Kalyan Singh Bhavan

---

## NOTIFICATION

Raipur, Dated the 4 November, 2011

No. F 2-4/2010/1-RTI ::: In exercise of the powers conferred by sub-secion (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely :-

## AMENDMENT

In the said rules, -

1. In sub-rule (1) of Rule 3, after the words "non-judicial stamp", following words and figures shall be added, namely :-

   "or demand draft or Banker's Cheque (up to ₹. 1000 uncrossed and above ₹. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070-other administrative services, sub-major head (60)-other services, minor head (118)-receipts under Right to Information Act, 2005"

2. In sub-rule (3) of Rule 4, after the word "non-judicial stamp', the following words and figures shall be adeed, namely:-

   " or demand draft or Banker's Cheque (up to ₹1000 uncrossed and above ₹1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major- head-0070-other administrative services, sub-major head (60)-other services, minor head (118)-receipts under Right to Information Act, 2005"

3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

**By order and in the name of the**
**Governor of Chhattisgarh,**

**(K.R. Mishra)**
**Joint Secretary,**
**Chhattisgarh Government**
**General Administration of Department**

C-3\E:\Kushwaha\Kushwaha Letters\4